प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 373 सन 2021

अनवान :–

1. मुकेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर

वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र निराणा जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 94/98 की कुल 4.7420हैक्ट जिसमें महेन्द्र पुत्र निराणा का 1/2 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिबार के सदस्य है वादी के पिता ने उपरोक्त वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि खरीद की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी क्योकि वाद उस समय नाबालिग था तथा परिवारिक समझौता हुआ था कि वादी के बालिग होने पर वाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम करवा देगा वर्तमान में वादी बालिग हो चुका है तथा वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी के पिता ने जब वादी नाबालिग था तो वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई जाकर परिवारिक समझौता हुआ था कि वादी के बालिग होने पर उसके नाम दर्ज करवाई जावेगी वादी बालिग हो चुका है इसलिये वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 94/98 की कुल 4.7420हैक्ट जिसमें महेन्द्र पुत्र निराणा का 1/2 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी के पिता ने जब वादी नाबालिग था तब वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई जाकर परिवारिक समझौता हुआ था कि वादी के बालिग होने पर उसके नाम दर्ज करवा दी जावेगी वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व सहमति प्रस्तुत की जा चुकी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 94/98 की कुल 4.7420हैक्ट जिसमें महेन्द्र पुत्र निराणा का 1/2 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट–कानसर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मुकेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट साकिन हमीरदेसर तहसील रावतसर

वादी

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र निराणा जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 373 सन 2021 निर्णय दिनांक– 11.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 94/98 की कुल 4.7420हैक जिसमें महेन्द्र पुत्र निराणा का 1/2 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...कानसर..

सत्यमेव जयते